

4/4/23 दिनांक 31/4/23 का अवकाश होने के
 कारण आज पत्रावली पेश हुई। वकील अनुपमिता
 पत्रावली का अवकाश किया गया। न्यायालय द्वारा
 बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील द्वारा
 न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कराई गयी। अतः
 वाद 09R-2, 09R-5 में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से
 कम हो। बाद तक भील दारिखल दफ्तर हो। सुनापाठा।


सहायक कलेक्टर
बहादुर (अलवर) राज.